स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- बौद्ध जीव संरक्षण सोसाइटी,

2. संस्था का पता :- 18-ए, कृष्णा बाग कॉलोनी, आनन्दपुरी, [illegible], आगरा।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

4. संस्था के उद्देश्य :-

1- संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार व प्रचार करना व बच्चों में नैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, कलात्मक, रचनात्मक प्रवृत्ति का समुचित विकास करना।

2- संस्था का उद्देश्य बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के नर्सरी स्तर से प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाई स्कूल, इण्टर कालेज, कन्या इण्टर कालेज, पॉलीटेक्निक स्कूल, डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय, इण्टर एल.एल.बी./एम.एल.बी., तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा व प्रबन्ध शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, [illegible] शिक्षा, उच्च शिक्षा, [illegible], विधि संकाय, शिक्षक-प्रशिक्षण [illegible] हेतु [illegible] आदि की शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना व उनका संचालन करना एवं [illegible] कम्प्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था करना।

3- संस्था का उद्देश्य निर्धन वर्ग के लोगों को शैक्षिक सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना। बालक-बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु स्कूलों, कॉलेजों की [illegible], पुस्तकालयों, वाचनालयों, [illegible] की स्थापना, [illegible] शिक्षा कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार कर लोगों को शिक्षित करना।

4- संस्था के उद्देश्यों के [illegible] हेतु विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों, [illegible] का आयोजन करना, उनके [illegible] हेतु विभिन्न प्रकार के [illegible] शिक्षण प्रशिक्षण (बी० टी० सी०, बी० टी० सी०) आदि केन्द्रों की स्थापना करना।

5- [illegible] को प्रोत्साहित करने हेतु [illegible] की बालिकाओं व [illegible] को [illegible] शिक्षा प्रचार करना व [illegible] का सतत विकास करना, निर्धन तथा असहाय छात्र/छात्राओं एवं कर्मचारियों को [illegible] आदि की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलाने का प्रबन्ध करना ।

6- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम, बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय [illegible] से युवक-युवतियों के कल्याण व पूर्ण आत्म-निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, [illegible], बुनाई, [illegible], हस्तकला, [illegible] कम्प्यूटर-संचालन प्रशिक्षण [illegible] तथा टंकण आशुलिपि, इलेक्ट्रॉनिक्स, [illegible], टेलीविजन, [illegible], [illegible] आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म-निर्भर बनाना तथा उनकी आवश्यकता पैदा करना ।

7- [illegible], भूमि संरक्षण तथा पर्यावरण सुधार हेतु [illegible] आयोजन कर [illegible] को पर्यावरण [illegible] के लिये प्रेरित करना एवं जगह-जगह वृक्षारोपण करना एवं [illegible] तथा गोष्ठियों का आयोजन कर [illegible] को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना ।

8- कम्प्यूटर प्रणाली की नवीनतम [illegible] उपलब्ध कराना, व [illegible] युवक-युवतियों को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा व प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करना व कम्प्यूटर के [illegible] विषयों की निःशुल्क शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

सहा. [illegible]

[illegible]

8- संस्था ऐसे व्यवसायों का न तो संचालन करेगी और न ही कोई प्रकाशित व [illegible] एवं प्रदान करेगी जिसका संचालन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित [illegible] बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है । संस्था ऐसा करने से पूर्व राज्य सरकार/भारत सरकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करेगी ।

9. प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के नाम, पता, पद, व्यवसाय व हस्ताक्षर दिये गये हैं जिन्हें कि संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :-

क्रमांक नाम	पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1-डा० [illegible] गुप्ता	स्व०श्री [illegible]	[illegible] कलेक्टर आगरा।	[illegible]	[illegible]
2-श्री [illegible]	स्व०श्री [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3-श्री [illegible] कुमार	श्री [illegible]	[illegible] आगरा।	[illegible]/	कृषि
4-श्रीमती [illegible]	श्री [illegible] कुमार	[illegible] आगरा।	[illegible]	गृहणी
5-श्री [illegible] सिंह [illegible]	श्री [illegible] सिंह	[illegible] आगरा।	[illegible]	कृषि
6-श्री [illegible] मिश्र	स्व०श्री [illegible] मिश्र	[illegible] आगरा।	[illegible]	[illegible]
7-श्री [illegible]	स्व०श्री [illegible]	[illegible] आगरा।	[illegible]	[illegible]
8-श्रीमती [illegible]	श्री [illegible] सिंह	[illegible] आगरा।	[illegible]	गृहणी
9-श्रीमती [illegible] देवी	श्री [illegible]	[illegible]	[illegible]	गृहणी
10-[illegible] गुप्ता	श्री [illegible]	31/20 [illegible] आगरा।	सदस्य	नौकरी
11-श्रीमती [illegible] देवी	स्व०श्री [illegible] सिंह	[illegible] आगरा।	सदस्य	नौकरी

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता ये घोषित करते हैं कि इस संस्था का गठन उपरोक्त उद्देश्यों व प्रस्तावित नियमावली के अनुसार सोसा० रजि० अधिनियम 21 सन् 1860 के अंतर्गत किया गया है।

दिनांक :- 27/11/2017

नियमावली

1. संस्था का नाम :- जी० बी० वेलफेयर सोसाइटी,
2. संस्था का पता :- 88 ए, कृष्णा बाग कॉलोनी, अवधपुरी, बोदला, आगरा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य :- संलग्न स्मृतिपत्र के अधिनियमानुसार।
5. सदस्यता तथा सदस्यों की श्रेणी :-

1. **संरक्षक सदस्य :-**

ऐसे व्यक्ति इस संस्था को एक मुश्त 10000/- रु० सदस्यता शुल्क के रूप में निश्चित रूप से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई सम्पत्ति या चल अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगे एवं संस्था की सदस्यता की पदाधिकारियों के अनुमोदन के उपरान्त निम्नलिखित सदस्यता के अनुसार निश्चित शुल्क जमा करने पर ही सदस्यता प्रदान की जायेगी।

2. **आजीवन सदस्य :-**

ऐसे व्यक्ति इस संस्था को एक मुश्त 5000/- रु० सदस्यता शुल्क के रूप में निश्चित रूप से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

3. **साधारण सदस्य :-**

ऐसे व्यक्ति इस संस्था को 250/- रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के साधारण सदस्य होंगे।

4. **विशिष्ट सदस्य :-**

ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे, संस्था द्वारा सम्मानित एवं उनकी प्रबन्ध सदस्यों, पदाधिकारियों सदस्यों की [illegible] कार्यकारिणी समिति ही वर्ष के लिये विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी, ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान, चंदा, संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा।

6. **सदस्यता की समाप्ति :-**

1- सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया घोषित होने पर।
2- आचरण भ्रष्ट होने पर एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।
3- किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।
4- सदस्यता शुल्क समय से जमा न करने पर।
5- संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।
6- किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।
7- सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर, सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

7. **संस्था के अंग :-** (अ) साधारण सभा (ब) **कार्यकारिणी समिति**

8. **साधारण सभा :-**

(अ) गठन :-

संस्था की साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

ब. बैठकें :-
साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

स. सूचना अवधि :-
साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी उचित या सर्वोच्च माध्यम से दी जायेगी ।

द. गणपूर्ति :-
गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :-
संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जायेगी ।

5. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चयन करना एवं चुनाव सम्पन्न कराना ।
2- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।
3- वार्षिक बजट व वार्षिक लेखाओं की समीक्षा रिपोर्ट पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

6. प्रबन्धकारिणी समिति :-

अ. गठन :-
प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा के 2/3 बहुमत से 11 सदस्यों का चुन कर किया जायेगा, जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक उपकोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे ।
संस्था की प्रबन्धकारिणी को आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जायेगा जो कि कम से कम 07 व अधिकतम 15 तक होगी ।

ब. बैठकें :-
प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

स. सूचना अवधि :-
प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या सर्वोच्च माध्यम से सदस्यों को दी जायेगी ।

द. गणपूर्ति :-
गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

य. रिक्त स्थान की पूर्ति :-
प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो उस स्थान/पद की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिये चुन ली जायेगी ।

र. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों का सुलझाना ।
2- नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।
3- वार्षिक बजट व वार्षिक लेखाओं की समीक्षा तैयार करना

4— संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक निकायों, व्यक्तियों आदि से दान, अनुदान, चंदा, ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना, तथा प्राप्त धन को संस्था के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति एवं विकासात्मक कार्यों पर व्यय करना।

5— संस्था के विकास हेतु उपसमितियों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना।

ग. कार्यकाल —

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

घ. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष —

1— संस्था की ओर से समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।

2— मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना।

3— संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को कराना व संस्था की देखरेख करना।

2. उपाध्यक्ष :-

1— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना।

2— सामान्य स्थिति में अध्यक्ष के कार्यों में उनका सहयोग करना।

3. प्रबन्धक/सचिव —

1— संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना।

2— संस्था के कार्यक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना।

3— संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना व आवश्यकतानुसार बैंकों व वित्तीय संस्थाओं आदि से ऋण प्राप्त करना, प्राप्त धन को संस्था के कोष में जमा करना।

4— संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हो सकते।

5— संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों/विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निलम्बन, पदोन्नति एवं सेवामुक्त करना, उनकी सेवा शर्तें व नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उनका भुगतान करना।

6— संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना व अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।

7— संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, चेक, अनुबन्ध पत्रों, बैंकों, ड्राफ्टों सम्बन्धी लिखा-पढ़ी पर हस्ताक्षर करना।

4. उपप्रबन्धक/उपसचिव :-

1— प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके स्वीकृत कार्यों को करना, सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना।

5. कोषाध्यक्ष —

1— आय व्यय का लेखा जोखा रखना एवं आय व्यय बही पत्रों को तैयार करना।

2— कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान, अनुदान, चंदा आदि प्राप्त करना।

3— अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव के कार्यों में उनका सहयोग करना।

6. उपकोषाध्यक्ष :-

1— कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके स्वीकृत कार्यों को करना, सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना।

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय [illegible]

[illegible]

11. **संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-**

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

12. **संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था-**

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी ग्राम्य बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

13. **संस्था का लेखा परीक्षण :-**

संस्था का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष एक सक्षम आडिटर व आवश्यकतानुसार चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

14. **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-**

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

15. **संस्था के अभिलेख :-**

1- सदस्यता रजिस्टर 2- कार्यवाही रजिस्टर 3- कैशबुक, रसीद बुक, 4- स्टॉक रजिस्टर 5- निरीक्षण रजिस्टर आदि।

16. **विघटन सम्बन्धी :-**

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा- 13 व 14 के अंतर्गत की जायेगी।

दिनांक :- [illegible]

सत्यप्रतिलिपि